

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.1(3) 2 () / स्था / आईसीडीएस / 2013 150

जयपुर, दिनांक: 2-1-18

आदेश

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	श्री नानुराम रावत	बाविपअ, डूंगला (चित्तौडगढ़)	16.01.1958	31.01.2018
2.	श्री वहीदो	बाविपअ, हुरडा (भीलवाडा)	29.01.1958	31.01.2018
3.	श्रीमती कृष्णा	बाविपअ, कोटा (शहर)	09.01.1958	31.01.2018
4.	श्री देव करण काछी	बाविपअ, अलीगढ़ (टोंक)	01.07.1958	30.06.2018
5.	श्री मोती खॉ	बाविपअ, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	20.07.1958	31.07.2018
6.	श्री सीताराम पंचौली	बाविपअ, दूदू (जयपुर)	28.07.1958	31.07.2018
7.	श्रीमती नाथी देवी	उप निदेशक, अजमेर	04.08.1958	31.08.2018
8.	श्री अब्दुल सलाम	निदेशालय आईसीडीएस, जयपुर	13.10.1958	31.10.2018
9.	श्री लक्ष्मण	बाविपअ, आमेट (राजसमंद)	15.12.1958	31.12.1958

इनके विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(3) 2 () / स्था / आईसीडीएस / 2013 151-15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक: 2-1-18

1. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, जयपुर / उदयपुर / अजमेर / कोटा।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) / सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. उपनिदेशक, चित्तौडगढ़ / भीलवाडा / कोटा / टोंक / सीकर / जयपुर / अजमेर / राजसमंद।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, डूंगला (चित्तौडगढ़) / हुरडा (भीलवाडा) / कोटा (शहर) / अलीगढ़ (टोंक) / लक्ष्मणगढ़ (सीकर) / दूदू (जयपुर) / आमेट (राजसमंद)।
7. सम्बन्धित श्री / श्रीमती.....चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा निदेशालय / उप निदेशक / बाल विकास परियोजना अधिकारी
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।